CIRCLE COUNCIL, STAFF SIDE
M P CIRCLE, BHOPAL

NO.: CCM-II/1 Dated 11.12.2018

प्रति,
मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार,
मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल, बीएसएनएल,
भोपाल

विषय: **सर्किल कौंसिल हेतु एजेंडा**

मा. महोदय,

सर्किल कौंसिल हेतु निम्नानुसार एजेंडा प्रेषित है। एजेंडा में दोनों ही मान्यताप्राप्त यूनियन्स के मुद्दे शामिल हैं। कृपया सचिव व लीडर स्टाफ साइड से चर्चा कर मीटिंग हेतु तिथि निर्धारित करें।

1. ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम

बीएसएनएल में कार्यरत नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के लिए भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉईज ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम, एम पी सर्किल की तर्ज पर ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम लागू की जाए। यह योजना केवल इच्छुक नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के लिए ही हो।

2. बीएसएनएल में आय के अन्य स्त्रोत खोजे जाएं

(क) बीएसएनएल के अपने स्वयं के राजस्व अर्जन के मूल स्त्रोत दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। मोबाइल व लैंडलाइन सेगमेंट में हमारा राजस्व बेहद कम हो गया है। ऐसे में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से अतिरिक्त आय प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाएं। हमारे पास बड़ी संख्या में क्वार्टर्स उपलब्ध है। बीएसएनएल कर्मियों की/ रिटायर्ड कर्मियों की आवश्यकता पूर्ति पश्चात रिक्त क्वार्टर्स किसी भी PSU, राज्य सरकार के अधीन निगम व कार्यालय आदि को किराए पर दिए जा सकते हैं। इस हेतु इन क्वार्टर्स का नियमित रूप से एक निश्चित अंतराल पश्चात मेंटेनेंस भी जरूरी है। इसी प्रकार कई एक्सचेंज व कार्यालय में किराए पर देने योग्य स्थान उपलब्ध है। इस दिशा में गंभीर चिंतन और कोशिश से बीएसएनएल को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। कुछ एसएसए में इस संबंध में सफल प्रयास भी हो चुके हैं।

(ख) बीएसएनएल के क्वार्टर में रह रहे टर्म व सीसीए सेल के कर्मचारियों/अधिकारियों से क्या बीएसएनएल अतिरिक्त राशि ले रहा है ? या फिर उन्हें भी बीएसएनएल कर्मी के समान ट्रीट किया जा रहा है ? जानकारी देवें।

(ग) परिमंडल कार्यालय के एनेक्सी भवन में ऑडिट कार्यालय हेतु जगह आवंटित की गई है। क्या इनका बिजली बिल व अन्य मेंटेनेस का खर्च बीएसएनएल ही वहन कर रहा है ? यदि नही तो, बीएसएनएल को इस व इस तरह के अन्य मदों में हुए खर्च की राशि वसूल करना चाहिए।

(घ) बीएसएनएल के भवनों/जमीन का नियम विरुद्ध बगैर उचित भुगतान किए उपयोग कर रहे डॉट के अन्य यूनिट्स (यदि हो तो) की जानकारी दी जाए व यथोचित कार्यवाही की जाए।

(च) केबल डैमेज के प्रकरणों में त्वरित डिमांड नोट भेज कर वसूली हेतु कार्यवाही से भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो सकता है। डिमांड नोट प्रेषण में और वसूली में कोताही नही बरती जाए। क्या सतना में 33 लाख की वसूली की जा चुकी है, बताया जाए।

3. मेडिकल बिल्स का भुगतान

(अ) मेडिकल बिल्स के भुगतान में अनावश्यक विलंब/अतिविलम्ब होता है। इस हेतु निश्चित समयावधि निश्चित की जाए। माननीय मुख्य महाप्रबंधक, यूनियन से चर्चा के दौरान अधिकतम 3 माह में भुगतान हेतु सहमति दे चुके हैं। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ब) मेडिकल एडवांस प्रक्रिया को अति सुगम बनाया जाए।

4. COW BTS

इंदौर स्टोर में COW BTS बगैर किसी उपयोग के पड़े हुए हैं। इनको उपयोग युक्त बनाने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की गई थी। इस मद में कितना खर्च हुआ, सूचित करें। साथ ही बीएसएनएल की राजस्व वृद्धि में COW BTS का समुचित उपयोग हो सके यह सुनिश्चित करें, किन्तु बगैर अतिरिक्त खर्च किए।

5. सिम विक्रय से प्राप्त आय

बीएसएनएल में विभिन्न प्रयासों के जरिए सिम विक्रय में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस विक्रय हेतु फ्रेंचाइजी को भी बीएसएनएल द्वारा कमीशन के रूप में बड़ी राशि दी जा रही है। फ्रेंचाइजी को इस वित्तीय वर्ष में देय कमीशन की कितनी राशि दी गई और फ्रेंचाइजी द्वारा विक्रीत सिम संख्या से अवगत कराएं। साथ ही इन सिम से प्राप्त राजस्व राशि भी सूचित करें। क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे फ्रेंचाइजी को बीएसएनएल द्वारा भुगतान की गई राशि व प्राप्त राजस्व की मॉनिटरिंग की जा सके? कहीं ऐसा तो नही कि हम केवल कमीशन का भुगतान, प्राप्त राजस्व से अधिक कर रहे हैं ? यथोचित जांच हो।

6. मीटिंग्स पर अनावश्यक खर्च न किया जाए

यह देखने में आया है कि बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति क्षीण होने के बावजूद अनावश्यक खर्चों में कटौती नही की जा रही है। कई मीटिंग्स, बीएसएनएल के अपने कांफ्रेंस हॉल में आसानी से की जा सकती है। बावजूद इसके, ये मीटिंग्स होटल्स में आयोजित कर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

7. सोलर पैनल का समुचित दोहन हो

कुछ इकाइयों से प्राप्त जानकारी अनुसार सोलर पैनल का समुचित दोहन नही हो पा रहा है और सोलर पेनल्स स्थापित किए जाने के बावजूद इलेक्ट्रिक बिल्स में अपेक्षित कमी नही हुई है और बीएसएनएल को आर्थिक रूप से दोहरी क्षति हो रही है। इसकी जांच की जाए और वांछित सुधार किए जाए।

8. फॉर्म न. 16 मे सुधार

यह ध्यान में लाया गया है कि लेखा अनुभाग द्वारा जारी फॉर्म 16 में अलग अलग इनकम दर्शाई गई है। इस एरर की वजह से कर्मचारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अतिरिक्त टैक्स जमा करने हेतु नोटिस भेजे गए हैं। वैसे तो यह त्रुटि मानवीय न हो कर सॉफ्टवेयर की वजह से होने की संभावना है। इस संबंध में आवश्यक जांच व सुधारात्मक कार्यवाही शीघ्र की जाए।

9. क्रेडिट सोसाइटी की रिकवरी

विभागीय क्रेडिट सोसाइटी से लोन लेने वाले कुछ ऐसे कर्मचारियों के प्रकरण ध्यान में लाए गए हैं, जिनके द्वारा लिए गए लोन का भुगतान नही किया जाता है और ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पश्चात जमानतदारों से ऋण बकाया की वसूली की जा रही है। पूर्व में रिटायर्ड कर्मियों के सेवानिवृत्ति उपरांत किए जाने वाले भुगतान "नो ड्यूज" पश्चात ही किए जाते थे। किन्तु कुछ एसएसए में इस व्यवस्था का पालन नही किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें जिससे कि डिफॉल्टर होने की स्थिति में जमानतदारों को राहत मिल सके।

10. परिमंडल कौंसिल के मिनट्स जारी करने में विलंब

परिमंडल कौंसिल के मिनट्स जारी करने में अनावश्यक विलंब होता है। समय सीमा निर्धारित की जाए।

11. गलत मेडिकल बिल

कुछ हॉस्पिटल्स द्वारा गलत बिल बनाए जा रहे हैं। इसकी जांच कराएं, यथोचित कार्यवाही की जाए, कर्मचारी से अधिक वसूली गई राशि रिफंड की जाए। मालती हॉस्पिटल, भोपाल के 2 प्रकरण 3 वर्षों से

परिमंडल कार्यालय में लंबित है।

12. दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को मासिक बैठक

दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा मासिक बैठक दी जाए, समय निर्धारण किया जाए।

13. एसएसए हेड मीटिंग में यूनियन को चर्चा हेतु अवसर

एसएसए हेड मीटिंग में पूर्व की तरह यूनियन को चर्चा हेतु अवसर दिया जाए।

14. पनिशमेंट पश्चात पदोन्नति

किसी भी कर्मचारी को पनिशमेंट समाप्ति के बाद ड्यू डेट से नोशनली पदोन्नति दी जाए व आर्थिक लाभ दंड समाप्ति के बाद देवें।

15. DOT पेंशन सेल

(अ) रिटायर्ड कर्मियों को 4-4 माह पश्चात पेंशन मिल रही है जबकि पहले 2 माह में मिल जाती थी। सुधार आवश्यक है।
(ब) पेंशन बुक प्राप्त न होने, या गुम हो जाने पर दूसरी बुक प्राप्त करने की प्रकिया से अवगत कराएं।
(स) डॉट सेल द्वारा सभी रिटायर्ड कर्मचारियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि मांगे जा रहें है। इसका उद्देश्य क्या है, क्या पेंशन वितरण के तरीके में परिवर्तन हो रहा है ? स्पष्ट करें।

उपर्युक्त मुद्दों पर चर्चा के पूर्व विगत बैठक के एजेंडा पर भी चर्चा की जावे।

अग्रिम धन्यवाद सहित,

भवदीय,
s/d
(प्रकाश शर्मा)
सचिव, स्टाफ साइड

प्रतिलिपि:
1. **लीडर, स्टाफ साइड**